लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक: -सर्त0/बी/82/शिव0/08-09/ 1707 भोपाल, दि02/11/09

//आदेश//

श्री एस0के0गौड, व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य, शा0हाईस्कूल सेवढा, जिला-शिवपुरी द्वारा श्री गोपाल सिंह जाटव, शिक्षा कर्मी वर्ग-3 एवं पांच कर्मचारियों के वेतन वृद्धि सरियर देने के नाम पर रूपयों की मांग करने राशि न देने पर प्रा0वि0करसेना का निरीक्षण करते हुए संबंधित का वेतन काटने संबंधी शिकायत बी0ए0जी00जनमत/एस-1 के संवाददाता श्री भूपेन्द्र विकल के माध्यम से प्राप्त हुई।

शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी द्वारा श्री गौड को अपने पत्र क्र. शिका0/07/2069 दि. 3.5.07 से कारण बताओं नोटिस दिया गया। उत्तर समाधानकारक न होने से समीक्षा हेतु एक समिति का गठन दिनांक 15.5.07 द्वारा किया गया एवं प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। समिति द्वारा लेन-देन संबंधी चर्चा हेतु कैसेट में रिकार्ड आवाज एवं श्री गौड की आवाज मिलान करती हुई प्रतीत हुई।

जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी द्वारा दि. 28.5.07 को श्री गौड विरूद्ध आरोप-पत्र जारी किए गए। जिसका उत्तर दि. 12.6.07 को प्राप्त किया गया। जिसमें उत्तर के पूर्ण समाधानकारकहोना नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण में श्री एस0के0गौड, व्या0 एवं प्रभारी प्राचार्य, शा0हाई-स्कूल सेवढा, जिला-शिवपुरी प्रथम दृष्टि में दोषी होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री गौड का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी होगा एवं इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ0क्र: -सर्त0/बी/82/शिवपुरी/08/ 1708 भोपाल, दिनांक 26/11/09

प्रतिलिपि: -

1. कलेक्टर-शिवपुरी।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में आरोप-पत्र 7 दिवस में संचालनालय को भेजें।
4. सहायक संचालक, स्थापना-2, स्थानीय लोक शिक्षण संचालनालय।
5. श्री एस. के. गौड, व्या0 एवं प्र. प्रा0 शा0 हाईस्कूल सेवढा (शिवपुरी) की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।